# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 59/2010

1. नत्थूराम पुत्र फुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. विजय पुत्र संतलाल जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. बालकिशन पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमती उषादेवी पत्नी पुखराज पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. पप्पु पुत्र पुखराज उम्र 6 वर्ष नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता श्रीमती उषादेवी पत्नी पुखराज जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेंट्स

4. प्रदीप पुत्र संतलाल जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी नोहर दिनांक 13.05.2010, प्र. सं. 208/2008

उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री आनन्द उपाध्याय, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

निर्णय                    दिनांक

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश कर निवेदन किया कि रोही मोजा चक राजासर के खाता संख्या 56/198 की 31.10 बीघा भूमि स्थित है जिसके श्यामलाल खातेदार काश्तकार थे। खातेदार श्यामलाल की मृत्यु हो चुकी है उसके दो पुत्र फुसाराम व पन्नालाल हुए। पन्नाराम अपने मामा परमानन्द के गोद चले गये एवं मामा के पास ही बतौर गोद पुत्र रहे। इसलिए केवल वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार है। वाद पत्र में वादी ने मेघराज के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए वाद में इस आशय का अनुतोष चाहा कि चक राजासर के खसरा नम्बर 166 की 4.3500 हैक्टेयर भूमि के वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सेदार खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के मोरूसान पन्नालाल पिसरान मु. परमानन्द का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे विवादित आराजी में अपना हक 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने से निषेध रहे एवं भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकिल करने से निषेध रहें।

2. वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तबल किया गया। प्रतिवादी के नोटिस जरिये सामाचार पत्र में प्रकाशन के आदेश दिनांक 18.09.2005 को दिये गये। सामाचार पत्र में नोटिस आया होने के पश्चात् कोई उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 23.09.2009 को एक तरफा कार्यवाही की गई एवं वादीगण की एक तरफा बहस सुनने के पश्चात् दिनांक 13.05.2010 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 को रजिस्टर्ड सम्मन से तलब करने के पश्चात् उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। वकील अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 की बहस सुनी गई।

4. अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 27 सी पीसी का पेश कर उसके साथ नोहर का इतिहासिक परिचय की फोटो प्रमाणित प्रति एवं मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर कथन किया कि उक्त दस्तावेज को बतौर साक्ष्य स्वीकार किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपने वाद पत्र एवं अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित कर दिया था। प्रतिवादीगण की ओर से न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में उपस्थित होकर वाद पत्र का खण्डन किया है। जब प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का खण्डन ही नहीं किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वाद को स्वीकार कर वाद को डिक्री करना चाहिए था। The Hindu Adoptions and Maintenance Act. 1956 की धारा 12 में यह स्पष्ट प्रावधान किया है कि उत्तक पुत्र का खोलायत होने पर दत्तक पिता की सम्पत्ति में वैसे ही हक हिस्सा निहित हो जायेगा, जैसा कि उसके प्राकृति पिता की सम्पत्ति में था। इसके बाद प्राकृति पिता की सम्पत्ति में उसके कोई अधिकार शेष नहीं रह गये। पन्नालाल के आगे परमानन्द का नाम वोटर लिस्ट व नामान्तकरण संख्या 228 व गिरदावरी सम्वत 2009 से साबित था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसको नजर अदांज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

6. रेस्पोडेंट संख्या 4 के अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



Scanned with CamScanner

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन कियागया।

8. अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी पी सी के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं वह लोक दस्तावेज है जिनके संदिग्ध होने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को बतौर साक्ष्य ग्रहण किया जाता है।

9. जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा जो वाद पेश किया गया है उसका खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर नहीं किया, न ही प्रतिवादीगण अपील में उपस्थित आकर अपील में उठाये गये तथ्यों का खण्डन किया। वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं उनके अनुसार वादीगण ने अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि वादीगण क्लीन हैण्ड से नहीं होने से तथा साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित ही नहीं आया था, न ही उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन किया था उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज करने में विधिक भूल की है। यह मामला वर्ष 2008 से चला आ रहा है। वर्ष 2008 से लेकर आज तक प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कथनों का विरोध नहीं किया है। फलस्वरूप अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार की जाती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2010 निरस्त करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर चक राजासर के खसरा नम्बर 166 की 4.3500 हैक्टेयर [illegible] का वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील ...
हनुमानगढ़



Scanned with CamScanner

पन्नालाल का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे अपने हक की 1/2 हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने से निषेध रहे एवं रहन बैय करने से बाज व ममनू रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.12.2020
(करतारसिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व सीगे अपील

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

**अपील संख्या 59/2010**

1. नत्थूराम पुत्र फुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. विजय पुत्र संतलाल जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

**बनाम**

1. बालकिशन पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमती उषादेवी पत्नी पुखराज पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. पप्पु पुत्र पुखराज उम्र 6 वर्ष नाबालिगान ज़रिये वली कुदरती माता श्रीमती उषादेवी पत्नी पुखराज जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंट्स

4. प्रदीप पुत्र संतलाल जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी नोहर दिनांक [illegible] प्र. सं. 208/2008

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी श्री आनन्द उपाध्याय, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4 अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2010 निरस्त करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर चक राजासर के खसरा नम्बर 166 की 4.3500 हैक्टेयर भूमि के वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का व वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज पन्नालाल का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे अपने हक की 1/2 हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने से निषेध रहे एवं रहन बैय करने से बाज व ममनू रहे। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10.12.2020 को जारी की गई।

10/12/2020

(करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner